सरकार बनाम कालुराम, प्र.सं. 820/19

08.04.2019 अभियोजन अधिकारी उपस्थित। वकील प्रार्थी श्री विकास परिहार उपस्थित।

प्रार्थी सिकंदरखां की ओर से एफआईआर नं. 132/19 पुलिस थाना सुमेरपुर अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. व 4/21 एम एम डी आर एक्ट में जब्तशुदा बिना नंबरी डंपर को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली तलब की गई। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी का वाहन बिना लाईसेंस व परमिट के नदी से बजरी के खनन के अपराध में जब्त हुआ है, प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। उक्त वाहन की प्रकरण में अब आवश्यकता नहीं है, वाहन के पुलिस थाने पर पड़े पड़े खराब होने की संभावना है। वाहन वर्तमान में पुलिस थाने पर अनुपयोगी पडा है जिसे प्रार्थी सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है। प्रार्थी को कंपाउंड राशि जमा कराने हेतु विवश नहीं किया जा सकता एवं कंपाउंड राशि अत्यधिक बतायी गयी है। प्रकरण में विचारण में समय लगेगा एवं लंबी अवधि तक बिना उपयोग वाहन के पडे रहने से उसके खराब होने का अंदेशा है। प्रार्थी आदेशानुसार जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पेश करने हेतु तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे और प्रार्थी को वाहन सुपुर्दगी पर प्रदान किया जावे।

अभियोजन अधिकारी ने विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का वाहन नदी में से अवैध रूप से बजरी का खनन करते हुए जब्त हुआ है, ऐसी स्थिति में एमएमडीआर एक्ट व एमएमसीआर 2017 के नियमों के अनुसार बिना कंपाउंड राशि अदा किये प्रार्थी को वाहन सुपुर्दगी पर प्रदान नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी सिकंदरखां ने यह प्रार्थना पत्र प्रकरण में जब्तसुदा बिना नंबरी डंपर जिसके इंजन नंबर 81E84485570 व चैसिस नंबर MAT449053J5E15860 है, को सुपुर्दगी पर प्रदान करने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार प्रार्थी के उक्त वाहन में नदी से अवैध रूप से खनन कर बजरी भरकर परिवहन करने का आरोप है एवं प्रकरण में वाहन के चालक कालुराम के विरूद्ध धारा 379 भा.दं.सं. व 4/21 एमएमडीआर एक्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ है।

माईन्स एण्ड मिनरल्स कन्सेशन रूल्स 2017 के नियम 54(6) के अनुसार अवैध रूप से खनन अथवा परिवहन करते हुए पाये जाने पर जब्तसुदा वाहन, यदि आरोपित कंपाउंड राशि तीन माह में अदा नहीं की जाती है तो समपहरण के लिए दायी होता

है तथा इस उप नियम के परंतुक के अनुसार यदि तीन माह में उक्त राशि दे दी जाती है तो समस्त जब्तसुदा सम्पति की सुपुर्दगी का आदेश किया जायेगा और ऐसी सम्पति के स्वामी को सम्पति सुपुर्द कर दी जायेगी। इस प्रकार नियम 54(6) से स्पष्ट है कि यदि कंपाउंड राशि अदा नहीं की जाती है तो जब्तसुदा वाहन समपहरण के अधीन होता है और इसके परंतुक के अनुसार यदि कंपाउंड राशि अदा कर दी जाती है तो वाहन की सुपुर्दगी का आदेश किया जायेगा।

माननीय उच्च न्यायालय ने लक्ष्मण बनाम राज. राज्य, डी. बी. क्रिमिनल मिस. पिटिशन नं. 60/18 निर्णय दिनांक 06.04.18 में यह निर्धारित किया है कि मजिस्ट्रेट न्यायालय को एमएमडीआर एक्ट के अंतर्गत जब्तसुदा वाहन को सुपुर्दगी पर प्रदान करने की अधिकारिता प्राप्त है एवं कंपाउंड राशि अदा करने के पश्चात अथवा इसके बिना वाहन को सुपुर्दगी पर प्रदान करने का आदेश किया जा सकता है।

माननीय राज. उच्च न्यायालय ने मुकनाराम बनाम राज. राज्य, एस.बी. क्रिमिनल मिस. पिटिशन नं. 3285/12, निर्णय दिनांक 26.10.12 जयपुर पीठ, के मामले में निर्धारित किया है कि एमएमडीआर एक्ट के अंतर्गत जब्तसुदा वाहन को सुपुर्दगी पर प्रदान करने का आदेश करते समय न्यायालय कंपाउंड राशि अदा कराने का आदेश कर सकता है तथा कंपाउंड राशि नहीं जमा कराने पर वाहन को अस्थायी रूप से सुपुर्दगी पर प्रदान करने से भी इंकार किया जा सकता है।

उक्त विवेचनानुसार एमएमसीआर 2017 के नियम 54(6) के परंतुक व उक्त विधि के प्रकाश में यह स्थिति स्पष्ट है कि एमएमडीआर एक्ट के अंतर्गत जब्तसुदा वाहन को कंपाउंड राशि जमा कराने के पश्चात ही सुपुर्दगी पर प्रदान किया जाना चाहिए।

प्रार्थी की ओर से जब्तसुदा वाहन के बिल, डी एल व इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की प्रतियां प्रस्तुत की गयी है जिनके अवलोकन से प्रार्थी सिकंदरखां जब्तसुदा वाहन डंपर इंजन नंबर 81E84485570 व चैसिस नंबर MAT449053J5E15860 का स्वामी प्रकट होता है। अन्य कोई दावाकर्ता न्यायालय के समक्ष नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश किया जाता है कि यदि प्रार्थी खनिज अभियंता द्वारा अधिरोपित कंपाउंड राशि जमा कराकर इसकी रसीद की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत कर दे तो 22,00,000/—रूपये अक्षरे बाईस लाख रूपये का जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा इस आशय का प्रस्तुत करने पर कि प्रकरण के लम्बित रहते वाहन को नष्ट, बेचान, हस्तान्तरण अथवा किसी प्रकार से खुर्दबुर्द नहीं करेगा, वह न्यायालय द्वारा आदेशित करने पर उक्त वाहन न्यायालय में पेश कर देगा, तो वाहन प्रार्थी को सुपुर्दगी पर प्रदान कर दिया जावे।

आदेशानुसार सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश नहीं हुआ।

प्रार्थनापत्र फेसल शुमार होकर संलग्न पत्रावली रहे।